प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– गैरसैण विधान सभा परिसर पे० यो० निर्माण शाखा उ० पे० निगम रूद्रप्रयाग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सारकोट
तहसील गैरसैण, जिला चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैण विधान सभा परिसर परियोजना के निर्माण हेतु (0.37 हे0 आरक्षित वन भूमि, — हे0 सिविल सोयम भूमि — हे0, वन पंचायत भूमि 0.18 हे0) अर्थात कुल 0.55 हे0 वन भूमि का उ० पे० निगम रूद्रप्रयाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सारकोट द्वारा दिनांक............... को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों ~~द्वारा स्पष्ट~~ किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सारकोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सारकोट वन पंचायत व आर० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी वि.ख. - गैरसैण (चमोली)	ह0
ग्राम सचिव	ग्राम प्रधान
	प्रधान ग्राम पंचायत सारकोट वि० ख० गैरसैण (चमोली)

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा ~~वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो~~ तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।